न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 65/2008/डिक्री

1. शिवदास पिता भगवानदास बैरागी
2. अमृतदास पिता भगवानदास बैरागी
3. सुन्दरदास पिता भगवानदास बैरागी
4. गणेशदास पिता भगवानदास बैरागी
5. पूरणदास पिता भगवानदास बैरागी

सभी निवासी खोडीप तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. किशनदास पिता कजोडदास बैरागी
2. शांतिदास पिता कजोडदास बैरागी
3. प्रकाशदास पिता शिवदास बैरागी
4. मनोहरदास पिता शिवदास बैरागी
5. जीवनदास पिता शिवदास बैरागी
6. मुकेशदास पिता अमृतदास बैरागी

सभी निवासी खोडीप तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
दिनांक 28.01.2008 प्रकरण सं. 179/2006

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री रतनलाल कुमावत – रेस्पोडेन्टस

निर्णय दिनांक– 31.10.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व डिक्री न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यो के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्टस की ओर से वादग्रस्त अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौता खोडीप की आराजी नम्बर 60/6 रकबा 9 बिस्वा के सम्बन्ध मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात पर वादीगण अपने पूर्वजो से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विवादित आराजीयात सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर दर्ज हो गयी जिसकी आड मे रेस्पोडेन्टस अपीलान्टस को विवादित आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा है। वादीगण अपीलान्टस कब्जा

मुखालफाने के आधार पर भी विवादित आराजीयात के खातेदार हो चुके है जिससे विवादित आराजीयात अपीलान्टस के खातेदारी मे दर्ज की जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अपीलान्टस के विरूद्ध विवादित आराजीयात के सम्बन्ध मे धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया। दोनो ही वाद पत्र विवादित आराजीयात से सम्बन्धित होकर दोनो ही वादपत्र मे समान पक्षकार थे जिससे दोनो ही वादपत्र कन्सोलिडेट किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो ही वादपत्र को कन्सोलिडेट किये बगैर अलग–अलग निर्णय पारित कर अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अपीलान्टस के विरूद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किये जाने का निर्णय पारित कर दिया जो अवैधानिक है।

2. यह कि विवादित आराजीयात के सम्बन्ध मे अपीलान्टस ने पूर्व मे वाद पत्र प्रस्तुत किया एवं अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत वादपत्र बाबत् घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया उसके बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से लगायत 6 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र पश्चावर्ती वादपत्र होकर चलने योग्य नही है। विवादित आराजीयात पूर्वजो से अपीलान्टस के कब्जे काश्त मे चली आ रही है जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजीयात के सम्बन्ध मे मंगवायी गयी मौका रिपोर्ट जो अपीलान्टस की अनुपस्थिति मे पटवारी हल्का खोडीप द्वारा तैयार की गयी, जिसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का कब्जा होना दर्शाया गया। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व डिक्री दिनांक 28/01/2008 निरस्त फरमायी जाने की डिक्री प्रदान की जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा मुख्य रूप से उन्ही तथ्यो का उल्लेख किया गया है जो अपील मे उल्लेख किया गया है साथ ही मांग की गई है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का फैसला अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम करते हुए विस्तृत निर्णय पारित किया गया है एवं प्रत्येक तनकी का विधिवत निर्णय किया गया है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अपील अपीलार्थी, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया, जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यो का ठीक से विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया गया है तथा एडवर्स पजेसन के सम्बन्ध मे डिक्री पारित करते समय वांछित विधिक बिन्दुओ को ध्यान मे नही रखा गया है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 179/2006 मे पारित निर्णय दिनांक 08/01/2008 को अपास्त किया जाकर पुनः सुनवाई कर निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़